कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था/2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री अजय कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कपूरावाला,जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डुंगरी पाड़ा, जिला बांसवाड़ा किया गया था जिसके विरूद्ध श्री अजय कुमार द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील चलपीठ जोधपुर में अपील संख्या 600/2019 अजय कुमार बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 600/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री अजय कुमार को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पारिवारिक कारणों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि पहाडी निवाई, टोंक अथवा एसीबीईओ–II कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयपुर पश्चिम जयपुर अथवा एसीबीईओ–II कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जालसू, जयपुर में प्रधानाचार्य समकक्ष के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अपील अधिकरण निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त स्थानान्तरण आवेदनों में रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे उनके प्रकरण पर विचार किया जाना संभव हो। अपीलार्थी शहर में ही पदस्थापित रहना चाहते है जो कि किसी भी राज्य सेवा के अधिकारी के लिए उचित नहीं है। राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा राज्य सेवा के अधिकारी को प्रशासकीय आवश्यकता, विभागीय प्राथमिकता, छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री अजय कुमार द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।, सम्बंधित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/अजय/600/2019 दिनांक: 25.11.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री अजय कुमार के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए—17 नियमान्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग प्रथम को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाडा/जयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री अजय कुमार, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुंगला पाड़ा बांसवाडा।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)